

अनुसूचित जनजातियों के विकास में आर्थिक संस्थाओं की भूमिका

दीप्ति कमल जोशी, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, एस.एस.जे.यूनिवर्सिटी परिसर अल्मोड़ा

डॉ श्वेता चनियाल, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, एस.एस.जे.यूनिवर्सिटी परिसर अल्मोड़ा

सारांश :

प्रस्तुत शोधपत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास में आर्थिक संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है। भारत की लगभग 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जो विकास की मुख्यधारा से काफी हद तक पीछे रह गई है। इस पिछड़ेपन के पीछे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान और वित्तीय संसाधनों की सीमित पहुँच जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। शोधपत्र में यह विवेचना द्वितीयक आकड़ों के आधार पर की गई है कि किस प्रकार बैंकिंग संस्थाएँ, वित्तीय निगम, नीति आयोग, वित्त आयोग और विशेष रूप से TRIFED तथा NSTFDC जैसी संस्थाएँ जनजातीय समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देती हैं। शोधपत्र 2024 में अर्थशास्त्र में जिस कार्य को नोबल पुरस्कार मिला उसे समकालीन विशिष्ट अकादमिक परामर्श के रूप में जनजातीय समाज की आर्थिक विषमताओं के समाधान के रूप में विभिन्न आर्थिक संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करता है तथा निष्कर्ष में बताया गया है कि समावेशी संस्थाएँ दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अतः जनजातीय समाज के लिए समावेशी आर्थिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है।

शब्द कुंजी : अनुसूचित जनजाति, संस्था, विकास, एमएसपी, एमएफपी।

शोधपत्र के उद्देश्य:

1. जनजातीय विकास में आर्थिक संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
2. TRIFED, NSTFDC, वित्त आयोग, नीति आयोग आदि संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना।
3. जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं उद्यमिता को बढ़ाने हेतु सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। आकड़े के प्रमुख स्रोतों में भारत सरकार के मंत्रालयों (विशेषकर जनजातीय कार्य मंत्रालय), TRIFED की वार्षिक रिपोर्ट, वित्त आयोग की अनुशंसाएँ,

जनगणना 2011 के आँकड़े तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइटों और आधिकारिक दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें संस्थागत ढाँचे और उनकी विकासपरक भूमिकाओं का अध्ययन किया गया है।

परिचय:

जनगणना 2011 में बताया गया है कि भारत में 10.45 प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या निवास करती है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है¹। यह उस जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो विकास के क्रम में मुख्यधारा से पीछे छूट गया है इस पिछड़ेपन के विभिन्न कारण हैं जैसे अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य व तकनीकी का निम्न स्तर और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच इत्यादि। परम्परागत तकनीकों को जनजातीय समाज की मुख्य पहचान के तौर पर न केवल स्वीकार किया गया बल्कि अनेक अवसरों पर उसे महिमामंडित भी किया गया जिससे जनजातीय समाज अपने समानांतर मुख्यधारा के समाज से काफी पिछड़ गया।

जब वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं अधिक उन्नत तकनीकी एवं डिजिटल साक्षरता के साथ वैश्विक समाज के समानांतर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहा हैं ऐसे में आवश्यक है कि यह विकास समावेशी हो जिसके लिए सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी आवश्यक है ऐसे में जनजातीय समाज जो कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है उसे भी तैयार किया जाना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह कार्य कौन करेगा? तो उत्तर के तौर पर वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त नोबल पुरस्कार को उत्तर के तौर पर देखा जाना चाहिये। केवल इस कारण नहीं की नोबल एक प्रतिष्ठित सम्मान है बल्कि इसलिय भी की यह समकालीन सर्वश्रेष्ठ अकादमिक परामर्श भी है समकालिक आर्थिक समस्याओं का समाधान के दृष्टिकोण से। वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार इस विषय को समर्पित था कैसे संस्थाएँ बनती हैं तथा वे किस तरह से आर्थिक समृद्धि एवं विकास को कैसे दीर्घकाल में प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र इसी सन्दर्भ को ध्यान में रखकर चर्चा करती हैं की किस प्रकार विभिन्न आर्थिक संस्थाएँ जनजातीय विकास एवं समृद्धि में भूमिका का निर्वहन करती हैं।

जिसमें बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ मुख्य आर्थिक संस्थाएँ हैं परन्तु भारत में बैंकिंग एवं मुद्रा के नियोजन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी है तथा भारत में विभिन्न उद्देश्यों हेतु वाणिज्यिक बैंक, गैर वाणिज्यिक बैंक, नाबार्ड, सिडबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं जायत निर्यात बैंकों की स्थापना की गयी है जो कार्यरत हैं अर्थव्यवस्था की स्थापना की गयी है जो कार्यरत हैं अर्थव्यवस्थाएं मूल रूप से उत्पादन, वितरण, बाज़ार एवं विनिमय सम्बन्धी संस्थाओं पर आधारित होती है जिसमें बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं पर आधारित होती है जिसमें बैंकिंग व वित्तीय संस्थान एक माध्यम या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं अतः आवश्यक है कि जनजातीय समाज में संग्रहण, उत्पादन वितरण एवं बाज़ार विनिमय को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं के विषय में जानना चाहिये जिससे न केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा वरन

शिक्षा स्वास्थ्य न्याय तकनीकी जैसे अहम पहलू तक जनजाति समाज की पहुँच बढ़ेगी जो आगे विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

अनुसूचित जनजातियों अथवा आदिवासियों को सामान्य रूप से वनवासी मान लिया जाता है जनजातियों की पहचान के रूप में विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट भाषा, वनाधारित आर्थिकी एवं मुख्यधारा से पिछड़ापन को आदिवासियों का प्रमुख लक्षण माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 जनजातियों को अधिसूचित करने के विषय में बताता है कि राष्ट्रपति राज्य के किसी भी समुदाय को जनजाति घोषित कर सकता है। बाद के वर्षों में काका कालेलकर रिपोर्ट, लोकुर समिति की रिपोर्ट एवं अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट 1960- 61 में जनजातियों की पहचान को परिभाषित करने के सम्बन्ध में कार्य किया गया।

विकास में विभिन्न आर्थिक संस्थाओं की भूमिका : संस्था का आशय ऐसी व्यवहार व्यवस्था से है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्थायी नियमों, मूल्यों की एक निर्दिष्ट संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन व नियमन संभव हो सकें।

विकास हेतु संस्थागत प्रयास अति आवश्यक है इसलिए एक संस्था के तौर पर विकास की दिशा में बढ़ने के लिए सभी संस्थाएँ अपने उद्देश्य चुनती हैं। लक्ष्य निर्धारित करती हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएँ बनती हैं तथा धरातल पर उनका क्रियान्वयन करती हैं। इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समाधान भी तलाशती हैं परंतु इस सब का औचित्य तभी है जब ये संस्थाएँ समकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय के साथ लचीली व्यवस्थाओं को अपना सकें तथा प्रगतिशील हों तथा तकनीकी के साथ अद्यतन हो सकें तथा समय समय पर उचित संस्थागत और नीतिगत सुधार कर सकें।

2024 में डारोन ऐसमोग्लू (Daron Acemoglu) साइमन जॉनसन (Simon Johnson) जेम्स ए. रॉबिन्सन (James A. Robinson) को नोबल पुरस्कार से जिस कार्य के लिए सम्मानित किया गया उसमें यह बताया गया है कि संस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं 1) समावेशी संस्थाएँ 2) शोषणकारी संस्थाएँ

समावेशी संस्थाएँ एक समतामूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं जिससे दीर्घकालीन विकास एवं समृद्धि प्राप्त की जा सकती है तथा शोषणकारी संस्थाएँ छोटे समूहों के हितों की रक्षा करती हैं जिससे अधिकांश नागरिकों के अधिकारों और अवसरों का हनन होता है परिणामस्वरूप आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है और असमानता और वर्गभेद उत्पन्न होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोधपत्र आदिवासी समाज के विकास में विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के योगदान की चर्चा करता है-

जनजातीय विकास से संबंधित आर्थिक संस्थाएँ (Economic Institutions) - आर्थिक संस्थाओं का आशय उन संस्थाओं से है, जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों जैसे- उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और धन अर्जन से सम्बंधित हैं जनजातीय क्षेत्र मुख्य रूप से आर्थिक आवश्यकताओं हेतु वनों पर निर्भर हैं।

मुख्यधारा में जोड़ने हेतु आवश्यक हैं विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से विकास कर जनजातीय समाज को भी मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए ताकि एक ओर श्रमबल का उचित दोहन हो सके तथा दूसरी ओर इस कार्यबल को उचित उपज एवं श्रममूल्य प्राप्त हो सके। भारत सरकार ने समय-समय पर ऐसी विभिन्न संस्थाओं के निर्माण किया जो जनजातीय उत्पादों के विपणन, ऋण एवं वित्तीय सहायता, आदिवासी बहुत क्षेत्रों के विकास के साथ साथ जनजातीय समाज को स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे ले जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

जनजातीय विकास हेतु विशेष तौर पर समर्पित संस्थाओं में मुख्यरूप से सम्मिलित हैं-

TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ - ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में भारत सरकार द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत तत्कालीन भारत के कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी²। ट्राइफेड का उद्देश्य आदिवासी आर्थिक उत्पादों के लिए मध्यस्थों से रहित उचित बाजार उपलब्ध करना है जो केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करती है। ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय समाज के पारंपरिक ज्ञान एवं कला के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए ट्राइफेड लघु वनोपज (एम.एफ.पी.) हेतु न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण के साथ साथ वन धन विकास केन्द्रों की भी स्थापना का कार्य करती है ट्राइफेड. लघु वनोपज (एम.एफ.पी.) हेतु न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण का कार्य वर्ष 2013 से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति पर भोजन, फल, दवा, गृह निर्माण सामग्री, गृह उपयोगी सामग्री, साज-सज्जा एवं अर्थोपार्जन के लिय निर्भर जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाये एवं न्यूनतम मूल्य के निर्धारण एवं मध्यस्थों द्वारा हो रहे शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से *मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ़ माइनर फारेस्ट प्रोड्स (MFP) थ्रो मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) एंड डेवलपमेंट ऑफ़ वैल्यू चैन फॉर माइनर फारेस्ट प्रोड्स(MFP)* योजना को आरंभ किया गया।

लघु वनोपज (एम.एफ.पी.) हेतु न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) रुपए प्रति किग्रा -2013

क्रम संख्या	उत्पाद	न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी)
1.	इमली	22
2.	शहद	132
3.	गम कराया (स्टरकूलिया यूरेनस)	108
4.	करंज बीज	21
5.	साल बीज	10
6.	महुवा बीज	22
7.	साल के पत्ते	21
8.	बीज के साथ चिरौंजी फली	100
9.	आंवला	11

10.	i) रंगीनी लाख	210
	ii) कुसुमी लाख	290

स्रोत: annual report 2013-14 ministry of tribal affairs government of India. page n. 138.

वर्ष 2013 में 10 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) तय किया गया। लघु वनोपजों हेतु न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) सामान्य रूप से प्रत्येक तीन वर्षों में तय किया जाता है। वर्ष 2013 में यह जरूरी पहल शुरू हुई। परन्तु अन्य वन्य उपजों को भी शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि जनजातीय समाज जिस अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं वह केवल दस उत्पादों हेतु पर्याप्त नहीं है। और इस दिशा में भविष्य में आवश्यक कार्य किये गए।

2018 एवं मई 2020 में लघु वनोपजों के लिए जारी न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) प्रति किग्रा

क्रम संख्या	लघु वनोपज (एम एफपी)का नाम	एमएसपी 2018	एम एस पी मई 2020
1.	बीज वाली इमली (टेमरिंडस इंडिका)	31	36
2.	जंगली शहद	195	225
3.	गम कराया (स्टरकूलिया यूरेनस)	98	114
4.	करंज के बीज (पोंगामिया पिनाटा)	19	22
5.	साल के बीज (शोरिया रोबस्टा)	20	20
6.	महुआ के बीज (मधुका लोंगिफोलिया)	25	29
7.	साल के पत्ते (शोरिया रोबस्टा)	30	35
8.	बीज वाली चिरौंजी की फली	109	126
9.	हरीतकी/मिरोबालन (टमिनलिया चेबुला)	15	15
10.	क) रंगीनी लाख ख) कुसुमी लाख	130 203	200 275
11.	कुसुम के बीज (श्लोकेरा ओलोसा)	20	23
12.	नीम के बीज (अज़ाडिराचता इंडिका)	23	27
13.	पुवाड के बीज (कैसिया तोरा)	14	16
14.	बहेडा (टमिनेलिया बेलिरिका)	17	17
15.	हिल ब्रूम ग्रास/पहाड़ी घास (थिसानोलाना मैक्सिमा)	30	50
16.	शिकाकाई की सूखी हुई फली (अकासिआ कॉनसिना)	43	50

17	बेल का सूखा हुआ गूदा (ऐगल मार्मेलोस)	27	30
18.	नागरमोथा (साइपरस रोटंडस)	27	30
19.	शतावरी की सूखी हुई जड़ (असपरेगस रेसिमोसस)	92	107
20.	गुडमार/मधुनाशिनी (जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे)	35	41
21.	कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा)	33	35
22.	बिना बीज वाली इमली (टेमरिंडस इंडिका)	54	63
23.	गुग्गुल (कोमिफोरा विघटी)	700	812
24.	महुआ के सूखे हुए फूल (मधुका लॉगिफोलिया)	17	30
25.	सूखा हुआ तेजपत्ता (सिनामोमम स्पेसीज)	33	40
26.	जामुन की सूखी हुई गुठली (सिजिगियम क्यूमिनि)	36	42
27.	आंवले का सूखा हुआ बिना बीज वाला गूदा (फायलेंथस एम्बेलिका)	45	52
28.	मार्किंग नट (सेमेकारपस एनाकाडियम)	08	09
29.	सूखा हुआ रीठा (सेपिंडस एमरगिनेटस)	12	14
30.	भाव/अमलतास के बीज (कैसिया फिस्टुला)	11	13
31.	अर्जुन की छाल (टमिनलिया अर्जुना)	18	21
32.	सूखी हुई कोकम (गार्सिनिया इंडिका)	25	29
33.	गिलोय (टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया)	21	40
34.	कौंच के बीज (मुकूना प्रूरीस)	18	21
35.	चिरायता (स्वटिया चिरायता)	29	34
36.	वायबिडिंग/वावडिंग (एम्बेलिया स्पेसीज)	81	94
37.	धवई के सूखे फूल (वुडफोडिया फ्रुटीकोसा)	32	37
38.	नक्स वोमिका/कुचला (स्ट्राइकोनोस नक्सद्वोमिका)	36	42

39.	बन तुलसी के सूखे हुए पत्ते (ओसिमम टेनुईफ्लोरम)	19	22
40.	क्षीरनी (हेमिडेसमस इंडिकस)	30	35
41.	बकूल की सूखी छाल (मिमुसोप्स एलेंगि)	40	46
42.	कुटज की सूखी छाल (होलारहेना प्यूबेर्सेंस)	27	31
43.	नोनी/आल के सूखे मेवे (मोरिंडा सिट्रिफोलिया)	15	17
44.	सोनपाठा/स्योनक की फली (ओरोक्सिलम इंडिकम)	18	21
45.	चनोथी के बीज (अबरस प्रिकेटोरियस)	39	45
46.	कलिहारी के सूखे कंद (ग्लोरियोसा सुपरबा)	27	31
47.	मकोय के सूखे फल (सोलानम निग्रम)	21	24
48.	अपंग प्लांट (अचिरेंथेस एस्पेरा)	24	28
49.	सुगंधमंत्री मूल/कंद (होमालोमेना अरोमेटिका)	33	38

स्रोत: <https://trifed.tribal.gov.in/non/timber/procurement>

वर्ष 2013 के बाद 2018 में एक बार पुनः लघु वनोपज (एम.एफ.पी.) हेतु न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) जारी किया गया। इसमें आवश्यक सुधार भी देखे गये 2018 में कुल 49 लघु वनोपजों के लिए (एम.एफ.पी.) न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया गया। जिससे बड़ी मात्रा में लघु वनोपजों से आय के स्रोत सुरक्षित हुए परन्तु लाख की कीमत जो 2013 में रंगीनी लाख हेतु 210 रुपये प्रति किलो तय की गयी थी 2018 में उसमें गिरावट की गयी। यह 130 रुपये तय की गया जो 2013 के मुकाबले 38.10 प्रतिशत कम है 2020 में 2018 के मुकाबले 53.85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि होने पर भी यह 2013 से 4.76 प्रतिशत कम ही रही। इसी प्रकार कुसुमी लाख का 2018 में मूल्य 203 रुपये तय किया गया था अर्थात् इसमें भी 30.00 प्रतिशत की कमी देखी गयी और 2020 में हुयी मूल्य वृद्धि के उपरान्त भी यह 2013 से 5.17 प्रतिशत नीचे ही रही।

जब लाख जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के मूल्यों को तय किया जाता है तो यह स्वरोजगार की दिशा में नये अवसर प्रदान करता है परन्तु लाख की एमएसपी कम होना रोजगार व आत्मनिर्भरता को कुप्रभावित करता है दूसरी ओर पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के विकल्पों की ओर उपभोक्ताओं को धकेलता है।

2018 में गम कराया एवं करंजबीज के MSP में भी गिरावट देखी गयी परन्तु यह 2020 में पुनः 2013 के मूल्य से अधिक तय कर दिया गया।

यह अभी भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि जनजातीय समाज की सुदीर्घ परम्परा वनोंपजों पर निर्भर रही हैं अभी बड़े पैमाने पर इन उत्पादों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता थी। अतैव 11 नवम्बर 2020 को MFP में संशोधन कर इनकी संख्या बढ़ाकर 87 कर दी गयी जो पूर्व में 49 उत्पादों पर लागू थी³।

ट्राइफेड वनोपजों के लिए बाज़ार उपलब्ध करने के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है जिसमें TRIFOOD कार्यक्रम हैं जो जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है वन धन योजना - लघु वनोपजों का संग्रहण और बिक्री आदिवासियों की वार्षिक आय का 40-60% योगदान देता है⁴। इसके अतिरिक्त एक और संस्था NSTFDC है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation) :- एन. एस. टी. एफ. डी. सी. की स्थापना वर्ष 2001 में कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत हुयी यह जनजातियों के लिए कार्य करने वाली एक और संस्था है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस निगम का प्रबंधन एक बहुस्तरीय प्रतिनिधि निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है यह निगम आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि एक आत्मनिर्भर जनजातीय समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इसके लिए निगम विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है जिसमें आवधिक ऋण आदिवासी निवासियों एवं आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रमुख कार्य सम्मिलित है। क्रेडिट योजनायें तथा शिक्षा हेतु सहायता सम्मिलित है राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस सी ए), राज्य स्तर पर इस निकाय की प्रमुख इकाई है जो मुख्य रूप से पीएसयू बैंक तथा आरआरबी हैं जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक समेत विभिन्न पी.एस.यू. बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, विजय बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि।

जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न आर्थिक संस्थाएं एवं निगम कार्यरत हैं परन्तु आर्थिक विकास का दूसरा आवश्यक पहलु आर्थिक नियोजन व नियमन है जिसके लिए भारत में राज्य व केंद्र के स्तर पर विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं। जो नीतिगत सुधार के साथ साथ संरचनात्मक सुधारों की दिशा में आवश्यक प्रयास करते हैं। भारत में नीति आयोग और उसकी पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग ने नीतिगत सुधारों एवं आर्थिक नियोजन के लिए सदैव कार्य किया जिससे उत्तरोत्तर विकास निश्चित हो सके और यह संस्थाएँ विभिन्न सामाजिक वर्गों को ध्यान रखकर योजनायें बनाती हैं। जिससे सभी को विकास व प्रगति के समान अवसर मिले तथा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण हो सके।

वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का कार्य सदैव करता रहा है तथा साथ ही साथ स्थानीय निकायों के लिए की गयी वित्तीय अनुशंसाएं जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वित्त आयोग विकास योजनाओं के सतत क्रियान्वयन के लिए जनजातीय उप योजना की अनुशंसा करता रहा है जिससे जनजातीय विकास के कार्य बाधित न हों तथा उनका सतत व सफल संचालन किया जा सके।

वित्त आयोग द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य व अवसंरचना जैसी मदों पर विशिष्ट अनुदानों ने भी जनजातीय विकास को दिशा देने का कार्य किया है जैसे **राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम** जो मुख्य रूप से स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं नियोजन संस्थाएँ जैसे विश्व बैंक व एशियाई विकास बैंक एवं ब्रिक्स बैंक आदि महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

अन्य संस्थाएँ: -

किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के नियोजित विकास के लिए आवश्यक है की विभिन्न संस्थाएँ अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें ताकि वांछनीय लक्ष्य हासिल किये जा सकें। ये संस्थाएँ सम्पूर्ण राष्ट्र के अतिरिक्त कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों एवं उपसमूहों को लक्षित करके भी विकसित की जाती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में हमने जाना कि आर्थिक संस्थाओं ने किस प्रकार जनजातीय समाज के विकास में योगदान दिया परन्तु हम यह भी जानते हैं की विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है अतः केवल आर्थिक विकास, विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकता इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार अन्य विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जनजातीय समाज के संपूर्ण विकास पर विशेष ध्यान देती है जैसे **सामाजिक संस्थाएँ** समग्र कल्याण व अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। जिसके लिए विभिन्न गैर लाभकारी संस्थाएँ कार्य करती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण आजीविका एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कार्य करना है सामाजिक संस्थाओं के रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी कार्य करती हैं जैसे- **UNICEF, UNDP**, यह मुख्यतः स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा जैसे आवश्यक कारकों पर ध्यान देती हैं।

सांस्कृतिक संस्थाएँ जनजातीय विकास हेतु आवश्यक हैं क्योंकि जनजातीय समूहों को प्रायः उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से जाना जाता है इसलिए ऐसे सभी संस्थाएँ जो सांस्कृतिक संरक्षण का कार्य करती हैं जनजातीय समाज के लिए आवश्यक हैं **Tribal Research Institutes (TRIs)** जो संस्कृति व परंपराओं का संरक्षण व अध्ययन का कार्य करता के अतिरिक्त आदिवासी कला व लोक परंपरा का प्रोत्साहन देने वाले **लोककला अकादमियाँ व संग्रहालय** महत्वपूर्ण हैं।

भारत में विविधता एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर समय-समय पर आवश्यक संवैधानिक सुधार किये गए हैं जिनसे कभी कभी कुछ राजनैतिक संस्थाएँ स्थापित होती हैं जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसी तरह की एक संस्था हैं जो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण का कार्य करती है तथा इस सम्बन्ध में अनुसूचित क्षेत्र व पंचायत (PESA Act 1996) जो स्थानीय स्वशासन का अधिकार को सुनिश्चित करता है। **पांचवीं अनुसूची एवं छठी अनुसूची परिषद** की तहत स्वायत्त परिषदों की स्थापना राजनितिक रूप से जनजातियों के विकास हेतु अपरिहार्य है। राज्य विधानसभा व लोकसभा में आरक्षित सीटें इत्यादि ऐसे आवश्यक प्रयास हैं जिनके लिए शैक्षिक संस्थाएँ (Educational Institutions) जनजातीय समाज में साक्षरता दर 59 प्रतिशत है⁵। जो भारत की साक्षरता 74.04 प्रतिशत⁶ से कम है।

अतः आवश्यक है की ऐस संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में आये जो जनजातीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो इस संबंध में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS Society) गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी इसके अलावा आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक इसके अतिरिक्त इंडिजिनस स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज डिपार्टमेंट आदि पहल उल्लेखनीय हैं। कानूनी एवं न्यायिक संस्थाएँ जनजातियों के लिए कोई संस्थाएँ अलग ये ना बनाकर मौजूदा निकायों में ही आवश्यक सुधार किये गये हैं जैसे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 विभिन्न वनाधिकारों दिए गये हैं। अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 विशेष न्यायालय व निगरानी समितियाँ इत्यादि के द्वारा कानूनी एवं न्यायिक संस्थाएँ में जनजातियों की स्थिति को मजबूत करने के प्रयास हैं। स्वास्थ्य व पोषण संस्थाएँ, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संस्थाएँ से सम्बद्ध संस्थाएँ भी जनजातियों के विकास को दिशा देने हेतु आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

शोधपत्र से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक संस्थाएँ अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। TRIFED जैसे संस्थानों ने लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया है, वहीं NSTFDC ने ऋण व वित्तीय सहायता द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया है।

वित्त आयोग और नीति आयोग जैसी संस्थाओं ने योजनागत सुधारों के माध्यम से जनजातीय विकास को दिशा दी है। हालांकि, कुछ उत्पादों की MSP में कमी तथा सीमित उत्पादों के दायरे में नीति का सीमित प्रभाव देखा गया है। अतः आवश्यक है कि आर्थिक संस्थाओं को तकनीकी नवाचार, डिजिटल साक्षरता और स्थानीय सहभागिता के साथ अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि जनजातीय समाज मुख्यधारा के विकास से पूर्णतः जुड़ सके।

साथ ही शोधपत्र में यह भी चर्चा की गयी है की विकास बहुआयामी प्रक्रिया है अतः अन्य संस्थाओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, कानूनी एवं पर्यावरणीय संस्थाओं का महत्व व उनकी स्थिति के अध्ययन की आवश्यकता है एवं भविष्य में जनजातीय विकास में बाधक शोषणकारी संस्थाओं की पहचान भी आवश्यक है ताकि जनजातीय समाज मुख्यधारा में शामिल हो सके।

सन्दर्भ

1. Annual report 2023-2024, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, अध्याय 6, पृष्ठ संख्या 64, 6.1
2. <https://trifed.tribal.gov.in/hi/about-us-1>
3. https://up.data.gov.in/resource/mfps-wise-items-and-their-msp-rate-notified-under-scheme-minimum-support-price-msp-minor?utm_source=chatgpt.com

4. <https://trifed.tribal.gov.in/pmvdv>

5. जनगणना 2011.

6. वही।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- <https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2021-03/Inclusion%20of%20new%2014%20MFP%20items%20MSP%20MOTA%20-11-11-2020%20%281%29.pdf>
- https://trifed.tribal.gov.in/non/timber/procurement?utm_source=chatgpt.com
- https://up.data.gov.in/resource/mfps-wise-items-and-their-msp-rate-notified-under-scheme-minimum-support-price-msp-minor?utm_source=chatgpt.com
- [Inclusion of Minor Forest Produce items - November 2020](#)
- [Forest Rights Act](#)
- http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/75495239.cms?utm_source=chatgpt.com&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cpps_t
- https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2020-05/Price%20Revisions%20_%20MSP%20for%20MFP%20letter%2001_05_2020%20Ministry%20of%20Tribal%20Affairs_English_%26_Hindi.pdf
- 15 th finance commission.
- Ministry of Tribal Affairs, Government of India Annual report 2010-11.
- Ministry of Tribal Affairs, Government of India Annual report 2004-05.
- Ministry of Tribal Affairs, Government of India Annual report 2013-14.
- नदीम हसनैन, (2011). भारतीय जनजातियाँ: समाज और संस्कृति, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स।
- पेसा कानून: संविधान के रास्ते गावें स्वराज, पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर, आस्था संस्थान।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।